उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–49 / 2022–23

सरकार
–बनाम–
सतीश जयसवाल
आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –1934 / अप0शा0 दिनांक – 18.07.2022 के द्वारा वादी दिप्ती प्रियंका कुजूर अंचलाधिकारी, कामडारा के लिखित आवेदन के आधार पर कामडारा थाना काण्ड सं0–25 / 2022 दिनांक–01.06.2022 धारा–379 / 411 भा0द0वि0 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004, एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) नियम–2017 के तहत् जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0 – JH07E- 9681 के मालिक सतीश जयसवाल पे0–गणेश प्रसाद जयसवाल सा0–कुरकुरा थाना–कामडारा जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया। उनके वाद इस वाद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी गयी इसलिये उनका पक्ष को नहीं सुना गया।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि अंचल अधिकारी कामडारा के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0 – JH07E- 9681 के मालिक सतीश जयसवाल पे0–गणेश प्रसाद जयसवाल सा0–कुरकुरा थाना–कामडारा जिला–गुमला के विरुद्ध अवैध रुप से बालू का उत्खनन कर परिवहन कर बेचने करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 (यथा) संशोधित) के नियम–4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा–4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम–7 एवं 13 के तहत् मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0 – CG14MQ- 4370 के मालिक कलामुद्दीन अंसारी पे0–स्व0 कमरुद्दीन अंसारी ग्राम–बरवेनगर थाना–चैनपुर जिला–गुमला के द्वारा बालू चोरी के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:–

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral

for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं0–360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence,the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नही रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नही होने के कारण उसको अवैध रुप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है। अभी तक किसी के द्वारा उक्त वाहन एवं बालू के संबंध में claim (दावा) नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त बालू एवं ट्रैक्टर निबंधन सं0 – JH07E- 9681 को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

22.10.22
उपायुक्त,
गुमला

22.10.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.11.04 17:30:47 +05:30
Location: 192.168.5.104

Scanned with OKEN Scanner